संख्या- 8/2016/395 /33-3-2016-100(11)/2015

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 जनपदों के 10-10 ग्राम पंचायतों में से 05 डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के तथा 05 अन्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह के निर्माण के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 1/2016/2998 /33-3-2015-100(11)/2015 दिनांक 11 जनवरी 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 05 जनपदों के 10-10 ग्राम पंचायतों में से 05 डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम के तथा 05 अन्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों हेतु स्नानागृह के निर्माण के लिए धनराशि रू0 107191000/ निर्गत किया जाना था। जिसमें त्रुटिवश आनलाइन शासनादेश में रू0 10719100/- अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश में अंकित उस त्रुटिपूर्ण धनराशि को संशोधित करते हुए रू0 107191000/- (रू0 दस करोड इकहत्तर लाख इक्यानबे हजार मात्र) अंकित किया जाता है।

उक्त शासनादेश दिनांक 11 जनवरी 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगें।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
3- इटावा,फिरोजाबाद,कन्नौज,आजमगढ एवं सोनभद्र जनपद के जिलाधिकारी कोषाधिकारी /जिला पंचायत राज अधिकारी।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.

http://shasanadesh.up.nic.